अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..........से..........तक

जिला.......... सं0.........., सन् १९..........

केस का प्रकार..........

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आर्बिट्रेशन वाद संख्याः-47/2019

रामो देवी..................आवेदनकर्त्ता

-बनाम-

राज्य..........................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद रामो देवी, पति-शंकर स्वर्णकार, सा0-मनौरी, थाना+पो0-सोनवर्षा राज, जिला-सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 (महेशखुट- सोनवर्षा राज- सहरसा- मधेपुरा- पूर्णियाँ खण्ड) के किलोमीटर 30.150 से किलोमीटर 83.750 तक) हेतु अधिग्रहित उनकी निम्न वर्णित भूमि का किस्म "कृषि" निर्धारित करते हुए वाद सं0-05/2014-15, पंचाट संख्या-07 के तहत सूचित मुआवजा के विरूद्ध दायर किया गया है :-

वादगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा/थाना नं0	खाता सं0(पु0)	खेसरा सं0(पु0)	किस्म	दर प्रति एकड़	रकवा (ए0)	मुआवजा	अभ्युक्ति
मनौरी/10	262	1772	कृषि	8,58,465	0.0655	2,48,489	

आवेदिका की ओर से दाखिल वादपत्र में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि वादगत भूमि आवेदिका के द्वारा बजरिये केवाला संख्या 8651 दिनांक 06.07.2005 से प्राप्त की गई है तथा वह उक्त भूमि पर अपना आवासीय घर बनाकर रहते आ रही है। आवेदिका का वादगत भूमि सोलिंग सड़क के किनारे है और आवासीय किस्म की है, किन्तु उनकी भूमि का किस्म "कृषि" निर्धारित कर मो0 8,584.65 रू0 प्रति डिसमिल की दर से प्रतिकर निर्धारित कर मुआवजा पाने हेतु नोटिस किया गया है। आवेदिका के अनुसार वर्ष 2014-15 के MVR के अनुसार

मौजा-मनौरी के आवासीय सड़क किनारे की भूमि का मूल्य 70,000/- रूपया प्रति डिसमिल निर्धारित था, जिसपर वर्तमान 25% अधिक की दर से मूल्यांकन निर्धारित की जाती है तदनुसार 70,000+ 47500= 87500x4=350,000 प्रति डिसमिल मुआवजा निर्धारित करने का दावा किया गया है। उक्त के आलोक में आवेदिका के द्वारा उनकी अधिग्रहित भूमि का मुआवजा को गलत मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित बताया गया है। आवेदिका के अनुसार NH-107 सड़क निर्माण हेतु प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा-1772 को "आवासीय" जमीन के रूप में प्रकाशित किया गया, किन्तु भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मनमाने ढंग से भूमि का किस्म / प्रकृति "कृषि" निर्धारित किया गया। उनका कहना है कि उनके पास उक्त भूमि के अतिरिक्त दूसरी भूमि आवासीय रूप में नहीं है। तदालोक में उनके द्वारा उक्त अधिग्रहित भूमि का किस्म "आवासीय" निर्धारित करते हुए मुआवजा भुगतान हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NH Act- 1956 की धारा 3A के तहत दिनांक 06.05.2015 को प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा-1772 का किस्म / प्रकृति "आवासीय" दर्ज है तथा धारा-3D के तहत दिनांक 02.05.2016 में भी किस्म / प्रकृति "आवासीय" दर्ज है। समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक 414-2/भू0अ0 दिनांक 17.08.2018 द्वारा गठित उचित प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-मनौरी/10 अन्तर्गत स्थल निरीक्षणोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में भूमि का किस्म/प्रकृति "कृषि" प्रतिवेदित किया गया है एवं अभ्युक्ति कॉलम में "वर्तमान में इस खेसरा का आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है" अंकित है। उक्त के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर NH Act- 1956 की धारा 3G के तहत मौजा-मनौरी/10 के अंकित खेसरों का संशोधित प्राक्कलन दिनांक 06.09. 2018 को NHAI से स्वीकृति हेतु भेजा गया तथा NHAI से स्वीकृत्योपरान्त पंचाट तैयार कर रैयतों को मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक के द्वारा समर्पित आपत्ति आवेदन के आलोक छः सदस्यीय उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा पुनः स्थल जाँचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन में वर्णित खेसरा का का किस्म / प्रकृति "कृषि" दर्ज है। रिवीजन सर्वे खतियान में भी मौजा-मनौरी खाता-262,

खेसरा–1772 का किस्म धनहर–2 दर्ज है। तदालोक में उनके द्वारा किस्म परिवर्तन एवं तदनुसार मुआवजा निर्धारण से संबंधित आवेदक द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय उच्च पथ की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल जबाव में बताया गया है कि प्रश्नगत वाद में आवेदक द्वारा NHAI को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादगत भूमि की किस्म / प्रकृति धारा–3A गजट अधिसूचना में "आवासीय" प्रकाशित किया गया तथा छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँच में भूमि का स्वरूप "कृषि" प्रतिवेदित किया गया। उनका कहना है कि अधिग्रहण के समय प्रश्नगत भूमि का स्वरूप पूर्णतया कृषि था। तदालोक में बाजार मूल्य के आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की नियमानुसार गणना कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उनका कहना है कि आवेदक द्वारा अपने अधिग्रहित भूमि का किस्म आवासीय होने के संबंध में न तो छः सदस्यीय समिति के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य रखा गया और न ही इस न्यायालय में। तदालोक में आवेदक के द्वारा काल्पनिक रूप से किये गये किस्म परिवर्तन तथा मुआवजा पुनरीक्षण के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदिका का पक्ष सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि **RFCTLARR Act-2013** की धारा–23 के अनुसार जिला स्तरीय छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल निरीक्षण में अर्जनाधीन प्रश्नगत भूमि, जो सोनवर्षा बायपास हेतु वर्तमान एन0एच0–107 के पूरब अवस्थित है तथा जिसका स्वरूप "कृषि" है। उक्त भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण **RFCTLARR Act- 2013** की धारा–26(i)(b) में वर्णित प्रावधान के आलोक में "कृषि" श्रेणी की भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर समाहर्त्ता, सहरसा के अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित दर पर सक्षम प्राधिकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा नियमानुसार मुआवजा का निर्धारण किया गया है, जो नियमानुकूल है। स्पष्टतः यह भूमि अधिग्रहण के समय कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाया जा रहा था तथा उक्त भूमि का वर्तमान स्वरूप लगभग वैसा ही है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के दर को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 में निबंधित विक्रय पत्र का हवाला दिया गया है, जो **RFCTLARR Act-2013 के Sec–26** के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस मामले में

		समाहर्त्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा जाँचोपरान्त "कृषि" श्रेणी की भूमि के रूप में प्रतिकर निर्धारित किया जा चुका है, जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावा को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 39 .../विधि सहरसा, दिनांक 05-1-2...

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा आर्बिट्रेशन वाद सं0-47/2019 में दिनांक-04.01.2024 को पारित आदेश की आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

अनुलग्नक :–यथोपरि।

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः– रामो देवी, पति-शंकर स्वर्णकार, सा0-मनौरी, थाना+पो0-सोनवर्षा राज, जिला-सहरसा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

5/1/24

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।